

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र सं० 1920004 दिनांक 09-04-2019 तथा पत्र सं० 602 दिनांक 14-06-2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संबंधित कर अधिनियम-2008 की धारा-28 के अन्तर्गत 50 लाख वार्षिक टर्न ओवर से कम के व्यापारियों का कर निर्धारण हेतु वर्ष 2016-2017 के डीलर्स की टर्न ओवर मार्किंग करते हुए रु० 50 लाख से कम एवं 50 लाख से अधिक की मार्किंग दिनांक 30-06-2019 तक की जानी थी। MIS में उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार जोन वार वर्ष 2016-17 की टर्न ओवर मार्किंग की स्थिति निम्नवत पायी गयी :-

Marking Assessment Report (Zone Wise) for Assessment Year 2016-2017

S. No.	Zone	Marking Dealers			
		Total Dealers	Less than or equal to 50 Lacks	Greater than 50 Lacks	Unmarked
1	Agra	36228	23414	5963	6842
2	Aligarh	50967	28943	9765	12259
3	Ayodhya	69298	55012	13951	318
4	Bareilly	42982	31646	9370	1966
5	Etawah	41022	27686	4933	8397
6	Gautambudha Nagar	32665	18067	14545	52
7	Ghaziabad I	34276	22536	8859	2881
8	Ghaziabad II	27841	18467	7074	2300
9	Gorakhpur	70991	52859	11003	7129
10	Jhansi	41789	21246	5600	14943
11	Kanpur I	27809	19936	7168	700
12	Kanpur II	32710	21741	7443	3526
13	Lucknow I	48250	36969	7409	3872
14	Lucknow II	45595	37238	8057	300
15	Meerut	33064	23040	7440	2581
16	Moradabad	58666	46152	11364	1149
17	Prayagraj	47672	31401	5353	10903
18	Saharanpur	36857	27146	6503	3207
19	Varanasi I	41171	26385	7882	6903
20	Varanasi II	72637	47073	9587	15973
Total		892490	616957	169269	106201

उक्त मार्किंग में ₹0 50 लाख से कम वार्षिक टर्न ओवर के व्यापारियों की सूची कर निर्धारण के लागू इन पर उपलब्ध करायी गयी थी। इस सूची में डीमड Assessment से बाहर किये जाने वाले व्यापारियों को 07 Reason में मार्क किया जाना था। 07 Reason में मार्किंग की स्थिति निम्नवत है :-

S. No.	Zone	Marking Status with 7 Reason							Pending
		01	02	03	04	05	06	07	
1	Agra	12	164	33	5870	3406	50	1389	3608
2	Aligarh	7	292	6	3063	5836	15	503	12118
3	Ayodhya	10	1211	16	7418	6407	339	1086	36317
4	Bareilly	0	0	3	7644	4941	11	29	16466
5	Etawah	7	2	79	10174	6028	768	680	7950
6	Gautambudha Nagar	4	13	60	9760	12136	115	7292	131
7	Ghaziabad I	7	364	20	12631	9101	318	3327	701
8	Ghaziabad II	34	88	29	5886	9845	429	4011	2928
9	Gorakhpur	5	3	25	5389	31942	1636	644	7300
10	Jhansi	6	8	157	4971	5475	23	175	9966
11	Kanpur I	5	46	32	6599	4967	397	674	4888
12	Kanpur II	9	1295	50	9443	6214	168	1302	1328
13	Lucknow I	20	525	19	9752	4727	3	187	16339
14	Lucknow II	12	115	35	19035	11897	16	4965	1354
15	Meerut	6	9	33	11176	7927	4	763	4852
16	Moradabad	56	150	58	12408	17938	1015	5016	8479
17	Prayagraj	2	11	23	3771	6827	232	383	10582
18	Saharanpur	180	453	147	11190	12248	83	2385	2582
19	Varanasi I	4	9	36	7775	7210	25	1220	6193
20	Varanasi II	1	10	33	4129	9265	36	1205	27878
Total		387	4768	894	168084	184337	5683	37236	181960

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2016-2017 की ₹0 50 लाख से कम एवं 50 लाख से अधिक की डीलर्स मार्किंग तथा 07 Reason में मार्किंग का कार्य बिलम्बतम दिनांक 31-07-2019 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये। मार्किंग न होने के कारण यदि किसी व्यापारी का चयन कर निर्धारण हेतु नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी एवं मार्किंग की तिथि आगे नहीं बढ़ायी जायेगी। 31-07-2019 अंतिम रूप से अवधि बढ़ाई जा रही है।

यह पत्र कमिशनर, महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।


 (अजीत कुमार शुक्ला)
 एडीशनल कमिशनर(विधि), वाणिज्य कर,
 उत्तर प्रदेश।